

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

क्रमांक 752 /4/प्रवेश/यूजी/16-17/16 भोपाल, दिनांक 31 मार्च-2016

**:: विज्ञप्ति ::**

**मध्यप्रदेश चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश परीक्षा 2016 के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना**

मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में राज्य कोटे की सीटों में वर्ष 2016-17 में चिकित्सा पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा All India Pre-Medical/Pre-Dental Entrance Test 2016 के माध्यम से दिया जायेगा ।

1 मध्यप्रदेश चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम वर्ष 2016 में प्रवेश हेतु (AIPMT-16) प्रवेश परीक्षा के परिणाम से ही मध्यप्रदेश राज्य कोटे की पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी जिसके आधार पर ही चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा ।

2 मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) की सीटों में भी प्रवेश इसी परीक्षा AIPMT-16 के आधार पर प्राप्त परीक्षा परीणाम के अनुसार दिया जायेगा ।

3 सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी पात्रतानुसार उक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें । प्रवेश परीक्षा की विस्तृत जानकारी सी0बी0एस0ई0 की वेबसाइट पर [cbse.nic.in](http://cbse.nic.in) पर उपलब्ध है ।


4 मध्यप्रदेश राज्य कोटे की स्नातक चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश हेतु पृथक से प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी ।

5 AIPMT-16 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश हेतु 31 दिसंबर 2016 तक गणनानुसार अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

6 उपरोक्त प्रवेश परीक्षा के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

7 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) से निरंतर संपर्क में रहे प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी इनकी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकेगी ।

इस संबंध में सी0बी0एस0ई0 द्वारा जारी पब्लिक नोटिस सी0बी0एस0ई0 की वेबसाइट [cbse.nic.in](http://cbse.nic.in) पर उपलब्ध है ।

  
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश